1/8/22

वकील पक्षकारान उपस्थित / वे जवाब / बहस हेतु समय चाहते है समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 8/9/22 को पेश हो।

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

8.9.22 पत्रावली पेश हुई। श्री अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नहीं हुए अपीलार्थी एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की अनुपस्थिति बारबार उपस्थित होने हेतु, न्यायालय द्वारा की ओर से बार-बार बुलाने लगाई गई। परन्तु न अपीलार्थी की ओर से एवं न ही उनके अधिवक्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपील पत्रावली को और विचाराधीन रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। एवं अपील पत्रावली को अपीलार्थी अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपील हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद निस्तारण नकल से कार्यालय न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाया जावें।

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर